



उद्धरण खतीनी

कारण का नाम : खन्नापीय परमाणु : (विज्ञानाबाद) तहसील : विज्ञानाबाद जनपद : आजमगढ़ पसंसी वर्ष : 1424-1429 शरी : 1 खती संख्या : 00002

| खती संख्या | खतीदार का नाम / विता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | श्रमिक अधिकार प्राप्त करने का वर्ष | खती के पन्थक गाटे की खसरा संख्या | पन्थक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खतीदार द्वारा जालगुजारी का लगान | परिचयन सम्बन्धी आगवा या उसका साराख उनकी संख्या | टिप्पणी |
|------------|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|---------|
|------------|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|---------|

श्रेणी : 1- क/भूमि जो संरक्षणीय भूमिधरो के अधिकार में है 2- 3- 4- 5- 6- 7-12 13

| | | | | | | | |
|-------|--|------|-----|--------|---|---|--|
| 00002 | अर्. अहिमद/नूरनोल्हमद/खण्डवरी मदनमोहन/दलसिंगार/नि. ग्राम श्रीमती बदनि देवी/दलसिंगार/नि. ग्राम श्रीराम/तपसी/असिलपुर शैला देवी/अशोक कुमार/रतनवल रामअचल/दल्लू/क्यमुदिनपट्टी उर्फ परसरा रामरतन/दल्लू/क्यमुदिनपट्टी उर्फ परसरा शम्भापरवीन/नोउसीचव/छाऊ | 1258 | 282 | 0.8900 | 0 | परिचयन सम्बन्धी आगवा या उसका साराख उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आ देने वाले अधिकारी का पद | 1428फ0 आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी विज्ञानाबाद आजमगढ़ याद सं0 1202115520200073 अर्. अहिमद पुत्र नूरनोल्हमद व मदनमोहन पुत्र दलसिंगार व श्रीमती बदनि देवी पत्नी दलसिंगार व श्रीराम पुत्र तपसी व शैला देवी पत्नी अशोक कुमार व रामअचल पुत्र दल्लू व रामरतन पुत्र दल्लू व शम्भापरवीन पति मोउसीचव खतीम गोवसभा अन्तर्गत धारा 80 30घण्टा संदिता मीना खतीम पर0 विज्ञानाबाद तह0 विज्ञानाबाद जिला आजमगढ़ में पारित आदेश दिनांक 02-09-2022 के अनुसार खतीम पर0 विज्ञानाबाद तह0 विज्ञानाबाद जिला आजमगढ़ की खतीम खतीनी खती सं0 02 के आराजी नं0 282 रकबा 0.8900 हे0 भूमि को अर्पणिक व लगान मुक्त घोषित किया जाता है। ए0ए0का0 08-09-2022 |
|-------|--|------|-----|--------|---|---|--|

कुल गटे - एक कुल क्षेत्रफल - शून्य दर्शनलय आठ नौ शून्य शून्य कुल भू-मूल्य - शून्य

Data Digitally Signed by: BUDDH PRUY ANAND



उपरोक्त उद्धरण खतीनी का वैधिकरण <http://opkhuldeh.gov.in> वेबसाई पर जाकर किया जा सकता है।



सहाय अधिकारी: LALUB परमाणु: कारनाथ खन्नापीय/विज्ञानाबाद दिनांक एवं समय: 01-09-2024 12:18:50 ए0ए0का0 08-09-2022 दिनांक 08-09-2022 के अनुसार खतीनी के आराजी नं0 02 के आराजी नं0 282 रकबा 0.8900 हे0 भूमि को अर्पणिक व लगान मुक्त घोषित किया जाता है।

प्रमुख अधिकारी
सहाय अधिकारी
संलग्नक, आजमगढ़

प्रतिनिधि क्षेत्र का नाम.....
तथा नम्बर परताला गिरगावावावा
राष्ट्रीय गिरगावावा जिला राजस्थान

सन 1453

पसलों के अनुसार

| क्र.सं. | नाम | पिता का नाम | पिता का पता | राज्य अनुसूची (वकी श्रेणी) | | अन्य राज्य | | यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल | | उपरोक्त शासन क्षेत्र के क्षेत्रफल के लिए | | कुल क्षेत्रफल | पसलें |
|---------|--|-------------|-------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|-----------|--|-----------|---------------|-------|
| | | | | क्षेत्रफल | क्षेत्रफल | क्षेत्रफल | क्षेत्रफल | क्षेत्रफल | क्षेत्रफल | क्षेत्रफल | क्षेत्रफल | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 282 | 0.896 | 2 | राजस्थान | राजस्थान | राजस्थान | राजस्थान | राजस्थान | राजस्थान | राजस्थान | राजस्थान | राजस्थान | |
| 4 | <p>राजस्थान राज्य का नाम व पता सही और सत्यापित हो।</p> <p>राजस्थान राज्य का नाम व पता सही और सत्यापित हो।</p> <p>राजस्थान राज्य का नाम व पता सही और सत्यापित हो।</p> <p>राजस्थान राज्य का नाम व पता सही और सत्यापित हो।</p> <p>राजस्थान राज्य का नाम व पता सही और सत्यापित हो।</p> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |

प्रस्ताव संशोधन

CPH 22